# न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या–295/2014 50/2016.
शकीला प्रवीण बनाम कौशर प्रवीण एवं राज्य

## –:: आदेश ::–

15.7.17 प्रस्तुत अपीलवाद शकीला प्रवीण, पति–अब्दुल हकीम, निवासी–लीलजा, ग्राम पंचायत तलवा पूर्वी, वार्ड नं०–03 आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या –67 महिषी द्वारा कौशर प्रवीण, पति– मौजाहिद हुसैन, निवासी–लीलजा, ग्राम पंचायत–तेलवा पूर्वी, वार्ड नं०–3, अंचल महिषी एवं अन्य के विरूद्ध जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा के वाद संख्या 33/2014–15 के आदेश ज्ञापांक 1634–1 बाल विकास परियोजना कार्यालय, दिनांक 15.12.2014 से विक्षुब्ध होकर दाखिक किया गया था।

उभय पक्ष द्वारा दिनांक 20.08.2016 को सुलहनामा दाखिल किया गया है तथा अपीलार्थी ने आज पुनः बिना भय, दवबा, प्रलोभन के वाद वापस लेने का आवेदन दिया है। उभय पक्ष ने आज सदेह न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखा है कि दोनों बिना किसी दवाब, भय, प्रलोभन के वाद को समाप्त करने के इच्छुक है।

अतः प्रस्तुत अपीलवाद समाप्त किया जाता है ।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

15.7.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

15.7.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1112-2/ विधि, सहरसा, दिनांक–27-07-2017.

प्रतिलिपि– ~~मूल अभिलेख संलग्न करते हुए~~ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी० डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

27.07.017
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।